163

संख्या– /xxiv(7)–14(2)/2014

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 16 जून, 2014

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा रूसा परियोजना के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या–45(4)/रूसा/2014 दिनांक 25.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा रूसा परियोजना के कार्यों हेतु रू0 100.00 लाख का वित्तीय स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। आपके उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा रूसा परियोजना के कार्यो रू0 100.00 लाख की धनराशि (रू. एक करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– राष्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार की गाईड लाईन में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त 03 दिन के भीतर परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष की योजना के लेखाषीर्शक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद के अर्न्तगत–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता तथा–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 43 (p)/xxvii(3)/2014–15 दिनांक 05 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

.....2/

पृ0सं0 1932(1)/xxiv(7)–14(2)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) देहरादून।
3–अपर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) देहरादून।
4–आयुक्त गढवाल एवं कुमायूँ मण्डल पौडी/नैनीताल।
5–जिलाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
6–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–निजी सचिव मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड।
9–नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) शिविर कार्यालय देहरादून।
10–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
11–वित्त अनु0–3 उत्तराखण्ड शासन।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव